स्कूलों में नस्लीय एकीकरण और नस्लीय भेदभाव की रोकथाम का प्रचार

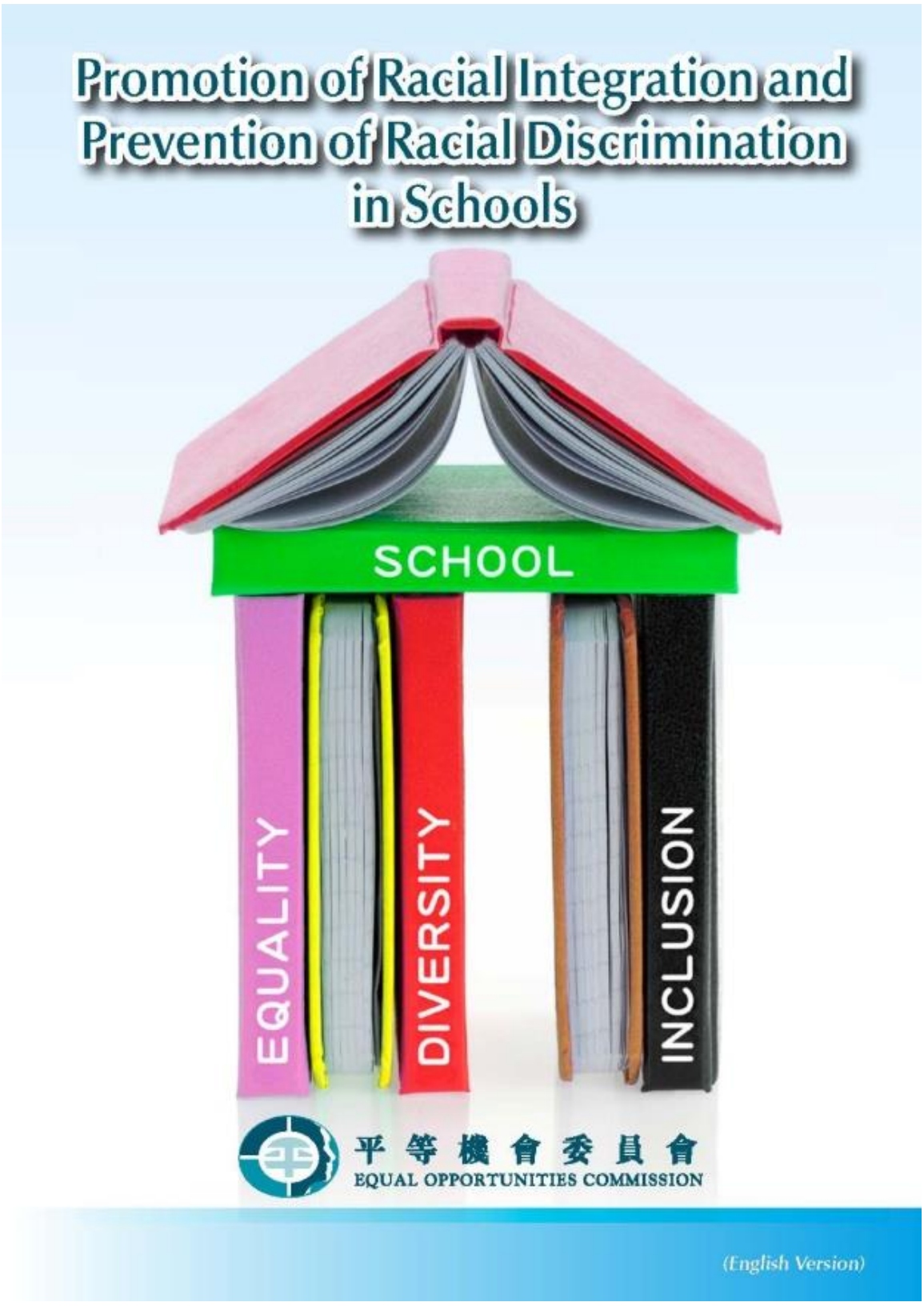

(Hindi Version)

विषय सूची

1. परिचय 2

2. इस पुस्तिका का लक्ष्य क्या हासिल करना है? 2

3. नस्लीय भेदभाव अध्यादेश को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? 3

4. भेदभाव कब होता है? 3

    A. प्रत्यक्ष भेदभाव 3

    B. अप्रत्यक्ष भेदभाव 4

        a) स्कूलों में भाषा आवश्यकताएं 4

        b) धार्मिक प्रथाएं और स्कूल के नियम 5

5. नस्लीय उत्पीड़न क्या है? 5

    A. अवांछित आचरण 6

    B. प्रतिकूल वातावरण 6

6. नस्लीय तिरस्कार क्या है? 7

7. अत्याचार के जरिए भेदभाव क्या है? 7

8. यदि आप भेदभाव का सामना करते हैं तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? 7

9. गैरकानूनी कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है? 8

    A. छात्र/स्कूल कर्मचारी/शिक्षक/छात्र आवेदक 8

    B. स्कूल प्रशासक/संयुक्त प्रबंधन समिति 8

10. ईओसी को भेदभाव या उत्पीड़न का दावा करने पर क्या होता है? 8

11. समझौते के माध्यम से मुझे किस प्रकार का समाधान मिल सकता है? 10

12. स्कूलों/किंडरगार्टन द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 11

13. माता-पिता/छात्रों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 15

14. सुझाई गई अभ्यास 19

    A. स्कूलों के लिए 19

    B. माता-पिता के लिए 20

15. उपयोगी लिंक और संपर्क 21

1. परिचय

शिक्षा हमारे बच्चों के भविष्य की कुंजी है। शिक्षा न केवल व्यक्तियों को अपनी क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाती है, बल्कि रोजगार जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से मानव संसाधनों को विकसित करना और हमारे समाज की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए समुदाय के सभी सदस्यों के लिए गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके अलावा, समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है।

इस संबंध में, स्कूल हमारे बच्चों की शिक्षा और समग्र विकास के केंद्र हैं। स्कूलों को विभिन्न पृष्ठभूमि से आए बच्चों का स्वागत करना चाहिए और उन्हें शिक्षा, सामाजिक मेल-जोल और अच्छी नागरिकता सहित शिक्षा से हासिल की जा सकने वाली सभी चीज़ों से लाभ उठाने में सक्षम बनाना चाहिए। हालांकि, इस उद्देश्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब स्कूल, शिक्षा देने वाले, शिक्षक, माता-पिता और छात्र सीखने के माहौल को समावेशी और नस्लीय आधार पर सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो उच्च गुणवत्ता और न्यायसंगत शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

हाल के वर्षों में, अधिक स्कूलों ने जातीय अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। अन्य स्कूलों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे भी इसका हिस्सा बनें क्योंकि सांस्कृतिक रूप से समावेशी स्कूल का माहौल न केवल जातीय अल्पसंख्यक छात्रों को लाभ पहुंचा सकता है, बल्कि अन्य सभी छात्रों को भी अपनी भाषा में विविधता लाने का मौका दे सकता है, दूसरों के प्रति समझ को बढ़ा सकता है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य विकसित करने में मदद कर सकता है। हालांकि, कानून का पालन करना जरूरी है, स्कूलों को कानून से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हांग कांग में रहने वाले जातीय अल्पसंख्यक हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। स्कूल में नस्लीय भेदभाव अध्यादेश (RDO) का अनुप्रयोग और नस्लीय एकीकरण को बढ़ावा देना जातीय अल्पसंख्यक छात्रों को दाखिला देने वाले स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। हमारे समाज के भावी स्तंभ के रूप में सभी छात्रों को इस ज्ञान और दृष्टिकोण से लैस होना चाहिए।

2. इस पुस्तिका का लक्ष्य क्या हासिल करना है?

इस पुस्तिका का उद्देश्य जानकारी देना है। वास्तविक परिस्थितियों और उदाहरणों की सहायता से, न केवल कानून को समझाया गया है, बल्कि व्यावहारिक संदर्भ में कानून के पीछे के सिद्धांतों को और स्पष्ट किया गया है। विशेष रूप से, पुस्तिका के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- नस्लीय समानता के सिद्धांतों के बारे में स्कूलों, शिक्षा देने वालों, शिक्षकों, माता-पिता और छात्रों को सूचित और शिक्षित करना;
- सभी हितधारकों को इन सिद्धांतों को गले लगाने और पालन करने में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना;
- किंडरगार्टन, स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आरडीओ के आवेदन की व्याख्या करने के लिए; तथा
- शैक्षणिक संस्थानों को आरडीओ के अनुरूप होने के साथ-साथ नस्लीय समावेश और एकीकरण के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप उपयोगी सुझाव प्रदान करना।

3. नस्लीय भेदभाव अध्यादेश को समझना क्यों महत्वपूर्ण है?

साल 2008 में पारित आरडीओ नस्ल, रंग, वंश, राष्ट्रीयता और जातीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आरडीओ शिक्षा के क्षेत्र समेत वस्तुओं, सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधानों में लागू होता है। इसलिए, **आरडीओ स्कूलों, शिक्षा केंद्रों, किंडरगार्टन, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और बाल देखभाल केंद्रों पर बाध्यकारी है।**

आरडीओ को समझने और इसका पालन करने से, न केवल स्कूल अपने कानूनी दायित्वों को पूरा कर सकते हैं और स्कूल में समानता और समावेशी माहौल को भी बना सकते हैं, बल्कि वे भेदभाव की शिकायतों और मुकदमों को भी रोक सकते हैं।

माता-पिता और छात्रों के लिए, यह पुस्तिका आरडीओ के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद करती है और यदि आप या आपके बच्चों के साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया है तो ये समाधान का जरिया है। स्कूलों के लिए, यह विविधता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने के संदर्भ के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से छात्र एक बहुसांस्कृतिक वातावरण में विकास कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।

4. भेदभाव कब होता है?

A. प्रत्यक्ष भेदभाव

प्रत्यक्ष भेदभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल के आधार पर कम अनुकूल व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्कूल किसी छात्र को उसकी जातीय उत्पत्ति के कारण प्रवेश देने से इनकार करने का निर्णय लेता है, तो यह आरडीओ का उल्लंघन माना जा सकता है।

(माता-पिता/छात्रों से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न # 1 का संदर्भ देखें)

आरडीओ की धारा 26 के तहत किसी शैक्षणिक प्रतिष्ठान के जिम्मेदार निकाय के लिए किसी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल के आधार पर भेदभाव करना गैरकानूनी है:

(a) जिन शर्तों पर वह उस व्यक्ति को छात्र के रूप में प्रतिष्ठान में प्रवेश करने की पेशकश करता है;

(b) प्रतिष्ठान में छात्र के रूप में प्रवेश के लिए उस व्यक्ति के आवेदन को अस्वीकार करना या जान-बूझकर अस्वीकार करना;

(c) जहां वह व्यक्ति प्रतिष्ठान का छात्र है:

(i) जिस तरह से इस व्यक्ति को किसी भी लाभ, सुविधाओं या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, या इन तक व्यक्ति की पहुंच को स्वीकार करने से बचना; या

(ii) व्यक्ति को प्रतिष्ठान से निष्कासित करना या उसे किसी अन्य तरह का नुकसान पहुंचाना।

प्रत्यक्ष भेदभाव तब भी हो सकता है जब छात्रों के साथ, जिन्हें स्कूल में भर्ती कराया गया है, उनकी नस्ल के आधार पर कम अनुकूल व्यवहार किया जाए। स्कूल की गतिविधियों/क्लबों या फोरम में हिस्सा लेने में अनुशासनात्मक कार्रवाई में, छात्रों या माता-पिता से प्राप्त अनुरोध या पूछताछ पर विचार के दौरान, स्कूल से सहायता या उसके प्रकार में अंतर से कम अनुकूल व्यवहार का पता लग सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष नस्ल के छात्र

पर उसकी नस्ल के कारण अन्य छात्रों की तुलना में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो यह आरडीओ के तहत नस्लीय भेदभाव का मामला हो सकता है।

हालांकि बाल देखभाल केंद्र स्कूलों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें आरडीओ के तहत सेवा प्रदाता माना जाता है। यदि कोई बाल देखभाल केंद्र किसी संभावित उपयोगकर्ता को उसकी नस्ल के कारण सेवा प्रदान करने से इनकार कर देता है, तो यह आरडीओ का उल्लंघन हो सकता है।

> आरडीओ की धारा 27 के तहत वस्तुओं, सुविधाओं या सेवाओं के प्रावधान से संबंधित किसी भी व्यक्ति के लिए यह गैरकानूनी है कि वह उन वस्तुओं, सुविधाओं या सेवाओं को प्राप्त करने या उपयोग करने की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है (भुगतान या नहीं):
>
> (a) दूसरे निर्दिष्ट व्यक्ति को इनमें से किसी भी एक के अनुरोध को अस्वीकार करना या जानबूझ कर प्रदान करने से इनकार;
>
> (b) पहले उल्लिखित व्यक्ति के मामले में समान तरीके से और समान शर्तों के बराबर, समान गुणवत्ता वाली वस्तुओं, सुविधाओं या सेवाओं को दूसरे निर्दिष्ट व्यक्ति को देने से इनकार या जान-बूझकर अस्वीकार करना।

आरडीओ के अंतर्गत, निकटतम रिश्तेदार की नस्ल के आधार पर भेदभाव भी गैरकानूनी है। एक करीबी रिश्तेदार का अर्थ है किसी व्यक्ति के पति/पत्नी, माता-पिता या बच्चे, दादा-दादी या पोते, भाई और सास-ससुर।

B. अप्रत्यक्ष भेदभाव

अप्रत्यक्ष भेदभाव तब होता है जब एक समान आवश्यकता या शर्त, जिसे गैर-नस्लीय आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है, को विभिन्न जातियों के लोगों पर समान रूप से लागू किया जाता है, लेकिन किसी विशेष नस्लीय समूह पर इसका अनुचित प्रभाव पड़ता है क्योंकि (i) उस नस्लीय समूह के लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा अन्य नस्लीय समूहों के लोगों के अनुपात की तुलना में उस आवश्यकता को पूरा कर सकता है, और/या (ii) शर्त उस विशेष समूह के व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक है क्योंकि वो इसे पूरा नहीं कर सकते।

a. स्कूलों में भाषा आवश्यकताएं

आरडीओ के तहत, भाषा को नस्ल की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया गया है और स्कूलों को पढ़ाने के माध्यम को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा अक्सर उनकी नस्ल से जुड़ी होती है, इसलिए भाषा के आधार पर व्यवहार कुछ नस्लीय समूहों के खिलाफ भेदभाव का कारण बन सकता है।

शिक्षा में अप्रत्यक्ष भेदभाव तब हो सकता है जब कोई स्कूल प्रत्येक छात्र/संभावित छात्र पर आवश्यकताएं लागू करता है, लेकिन कुछ नस्लीय समूहों से आने वाले लोगों पर इसका भेदभावपूर्ण प्रभाव पड़ता है और गैर-नस्लीय आधार पर इसे न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में भाषा से संबंधित अप्रत्यक्ष भेदभाव हो सकता है:

🕮 प्रवेश के समय भाषा की आवश्यकता

यदि स्कूल, कोई भी उचित कारण दिए बिना, आवेदकों और उनके माता-पिता के लिए स्कूल में आवेदन करने की पूर्व आवश्यकता के रूप में साक्षात्कार के दौरान कैंटोनीज़ बोलने की शर्त रखता है और एक निश्चित नस्ल के लोग इस जरूरत का अनुपालन करने में कम सक्षम होते हैं।

(स्कूल/किंडरगार्टन द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#2 और माता-पिता/छात्र द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#1 का संदर्भ देखें)

🕮 स्कूल नोटिस और संवाद

यदि स्कूल बिना किसी उचित कारण के अल्पसंख्यक माता-पिता को केवल चीनी भाषा में संवाद की सुविधा प्रदान करता है जो न तो चीनी भाषा बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं।

(स्कूल/किंडरगार्टन द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#3 और माता-पिता/छात्र द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न# 5 का संदर्भ देखें)

संक्षेप में, स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि प्रत्येक छात्र के पास भाषा की बाधा के बिना सीखने का समान मौका हो।

b. धार्मिक प्रथाएं और स्कूल के नियम

हालांकि हांग कांग में धार्मिक भेदभाव आरडीओ के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी नस्ल और धर्म के बीच स्पष्ट रेखा खींचना अक्सर मुश्किल होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को नस्लीय पहचान से जोड़ा जा सकता है। कुछ धार्मिक समूहों में जो विशेष नस्लीय मूल के लोगों से निकटता से जुड़े होते हैं, नस्लीय पहचान में कभी-कभी धार्मिक पहचान भी शामिल होती है। ऐसे मामलों में, धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करने वाली किसी भी लागू शर्त या आवश्यकता से नस्ल के आधार पर अप्रत्यक्ष भेदभाव हो सकता है। स्कूल यूनिफॉर्म नियमों के लिए यह उचित होगा कि छात्रों के सांस्कृतिक, धार्मिक और नस्लीय प्रथाओं का सम्मान किया जाए और उनका ध्यान रखा जाए। अन्यथा, कानून के तहत नस्लीय समानता से संबंधित बच्चों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। विवरण के लिए, आप निम्न लिंक के माध्यम से समान अवसर आयोग (ईओसी) द्वारा प्रकाशित "नस्लीय समानता और स्कूल यूनिफॉर्म" पुस्तिका देख सकते हैं:

www.eoc.org.hk/EOC/Upload/booklets/schoolUniform/2014_02.pdf

(स्कूल/किंडरगार्टन द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#6 और माता-पिता/छात्र द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न# 8 का संदर्भ देखें)

5. नस्लीय उत्पीड़न क्या है?

नस्लीय उत्पीड़न किसी अन्य व्यक्ति के नस्ल के आधार पर उसके साथ किसी भी तरह का अवांछित आचरण है।

आरडीओ की धारा 38 शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में उत्पीड़न पर रोक लगाती है। धारा बताती है कि निम्न आचरण गैरकानूनी है:

(a) एक व्यक्ति जो शैक्षणिक प्रतिष्ठान के जिम्मेदार निकाय का सदस्य है, वो इस संस्थान के छात्र या होने वाले छात्र का उत्पीड़न करता है;

(b) एक व्यक्ति जो शैक्षणिक प्रतिष्ठान का कर्मचारी है और प्रतिष्ठान के छात्र या होने वाले छात्र का उत्पीड़न करता है;

(c) एक व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थान का छात्र है और एक ऐसे व्यक्ति का उत्पीड़न करता है जो शैक्षणिक प्रतिष्ठान का छात्र है या होने वाला है;

(d) एक व्यक्ति जो शैक्षणिक प्रतिष्ठान का छात्र है या होने वाला है वो किसी अन्य व्यक्ति का उत्पीड़न करता है-

(i) जो प्रतिष्ठान के लिए जिम्मेदार निकाय का सदस्य है; या

(ii) जो प्रतिष्ठान का कर्मचारी है।

नस्लीय उत्पीड़न दो प्रकार के होते हैं।

A. अवांछित आचरण

यदि स्कूल का कोई भी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति की नस्ल के आधार पर उस व्यक्ति या उसके नजदीकी रिश्तेदार के साथ अवांछित आचरण करते हैं, वैसी परिस्थितियों में, जिसमें उचित व्यक्ति ने अनुमान लगाया होगा कि दूसरा व्यक्ति इस आचरण से अपमानित हो जाएगा या डर जाएगा, इसे नस्लीय उत्पीड़न माना जा सकता है।

नस्लीय उत्पीड़न किसी भी रूप में हो सकता है - शारीरिक, दृश्य, लिखित, ऑनलाइन, मौखिक या गैर मौखिक और यहां तक कि कोई एक भी घटना नस्लीय उत्पीड़न का कारण बन सकती है। ऐसे कृत्यों के उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं:

- गाली-गलौज करना, जिसे कुछ नस्लीय समूहों के लोग आक्रामक या अपमानजनक मान सकते हैं;
- नस्लीय चुटकुले बनाना और/या किसी के लहजे, रूप-रंग या पारंपरिक भोजन का मजाक बनाना;
- कुछ नस्लीय समूहों के लोगों के साथ संवाद करते समय आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना।

(स्कूल/किंडरगार्टन द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#5 और माता-पिता/छात्र द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न# 3 और 7 का संदर्भ देखें)

B. प्रतिकूल वातावरण

यदि स्कूल का कोई सदस्य, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, ऐसे आचरण में संलग्न होता है, जिससे ऐसा वातावरण बन जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी नस्ल के कारण डरावना लगता है, तो इसे प्रतिकूल वातावरण माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, छात्रों का एक समूह कुछ छात्रों की नस्ल के आधार पर कुछ नस्लीय अपमानजनक भित्तिचित्र बनाता है या स्कूल के खेल के मैदान में दीवार पर धमकी भरे संदेश लिखता है। इससे उस विशेष नस्ल के छात्र नाराज या भयभीत महसूस कर सकते हैं भले ही भित्तिचित्र या संदेश सीधे किसी विशेष छात्र को लक्षित न करें।

कभी-कभी कोई छात्र बिना उत्पीड़न के इरादे के किसी अन्य छात्र के बारे में मजाक कर सकता है। हालांकि, नस्लीय उत्पीड़न के अवैध कृत्य के लिए उत्तरदायित्व पर विचार करते समय इरादा प्रासंगिक कारक नहीं है। ठेस पहुंचाने, अपमानित करने या डराने का मकसद न हो फिर भी उत्पीड़न के लिए उसे उत्तरदायी माना जाएगा। इसलिए, हम सुझाव देते हैं कि स्कूल, किंडरगार्टन और शिक्षा केंद्र सभी नस्लों के छात्रों के लिए सीखने का सम्मानजनक माहौल तैयार करने के उद्देश्य से इस प्रावधान के बारे में सभी छात्रों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता को बढ़ावा दें।

सेवा प्रदाताओं के रूप में, आरडीओ की धारा 39 बाल देखभाल केंद्र पर भी लागू होती है जो बताती है कि माता-पिता और आवेदकों सहित सेवा उपयोगकर्ताओं का उत्पीड़न करना बाल देखभाल केंद्रों के कर्मचारियों के लिए गैरकानूनी है।

6. नस्लीय तिरस्कार क्या है?

आरडीओ की धारा 45 स्कूल के किसी भी सदस्य को किसी भी सार्वजनिक गतिविधि से, नस्ल के आधार पर घृणा फैलाने, गंभीर अवमानना या किसी अन्य व्यक्ति का उपहास उड़ाने को गैरकानूनी बनाता है। सार्वजनिक गतिविधि का मतलब जनता से संचार का कोई भी साधन या ऑनलाइन पोस्टिंग सहित जनता द्वारा पर्यवेक्षित आचरण शामिल है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र इंटरनेट फोरम में जाता है और सार्वजनिक रूप से भारतीय मूल के स्कूली साथी का मजाक बनाता है और काली त्वचा के लोगों को स्कूल परिसर में प्रवेश से रोकने के लिए दूसरों को उकसाता है तो इसे दूसरे नस्लीय समूह के लोगों के खिलाफ घृणा फैलाने का मामला मानते हुए नस्लीय तिरस्कार माना जाएगा। इसी प्रकार, एक निश्चित जातीय मूल का गंभीर रूप से उपहास करने वाला सार्वजनिक पोस्टर लगाना, भले ही यह चीनी या गैर-चीनी भाषा में हो, को नस्लीय तिरस्कार माना जा सकता है।

7. अत्याचार के जरिए भेदभाव क्या है?

यदि कोई शिक्षक, स्कूल कर्मचारी या छात्र किसी अन्य शिक्षक, स्कूल कर्मचारी या छात्र के साथ प्रतिकूल व्यवहार करता है क्योंकि वह निम्न करता है या ऐसा करने का इरादा रखता है तो इसे अत्याचार के जरिए भेदभाव हो सकता है:

- आरडीओ के तहत कार्यवाही करना आना;
- आरडीओ के तहत कार्यवाही के संबंध में जानकारी या सबूत देना;
- आरोप लगाना कि किसी ने आरडीओ का उल्लंघन किया है (सिवाय इसके कि आरोप गलत हैं और अच्छे विश्वास में नहीं लगाए गए हैं); या
- अन्यथा आरडीओ के संदर्भ में या उसके तहत कुछ भी करें।

(माता-पिता/छात्र द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न# 7 का संदर्भ देखें)

निम्नलिखित उदाहरण अत्याचार के जरिए भेदभाव हो सकते हैं।

- कोई शिक्षक छात्र के लिए संदर्भ लिखने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने आरडीओ के तहत उसके खिलाफ शिकायत की है।
- एक छात्र को खराब ग्रेड दिया जाता है क्योंकि उसने अपने कक्षा के साथी के साथ हुए नस्लीय उत्पीडन के मामले में शिक्षक के खिलाफ गवाही दी थी।

8. यदि आप भेदभाव का सामना करते हैं तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

यदि आपको लगता है कि नस्ल के कारण स्कूल या बाल देखभाल केंद्र में आप के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो आप इन मुद्दों को स्कूल या केंद्र के प्रबंधन के साथ उठा सकते हैं। स्कूल या केंद्र प्रबंधन को इसका जवाब देना चाहिए और यदि संभव हो, तो आंतरिक रूप से शिकायत को हल करना चाहिए।

आप ईओसी में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। कानूनी रूप से यह आवश्यक है कि ईओसी में दर्ज शिकायतें लिखित में हों और घटना के 12 महीने के भीतर हों। आप अपनी शिकायत मेल, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से लिखित रूप में जमा करा सकते हैं। यदि आपको भाषाई जरूरत है, तो ईओसी आपके अनुरोध पर एक दुभाषिया प्रदान कर सकता है।

इसके अलावा, आप जिला न्यायालय के समक्ष भेदभाव विरोधी अध्यादेशों के तहत घटना के 24 महीने के भीतर कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

9. गैरकानूनी कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है?

A. छात्र/स्कूल कर्मचारी/शिक्षक/छात्र आवेदक

छात्र/स्कूल के कर्मचारी/शिक्षक/छात्र आवेदक व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि वह किसी भी भेदभाव विरोधी अध्यादेशों का उल्लंघन करते हैं।

B. स्कूल प्रशासक/संयुक्त प्रबंधन समिति

स्कूल प्रशासकों और/या आईएमसी अपने कर्मचारियों के भेदभाव या उत्पीड़न के गैरकानूनी कृत्य के लिए व्यवहार्य रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं, भले ही उन्हें इस कृत्य की जानकारी नहीं हो या वो इससे सहमत नहीं हों, जब तक कि स्कूल यह दिखा न सके कि उसने अपने कर्मचारियों को ऐसा करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए हैं। स्कूल के कर्मचारियों में शिक्षक, शिक्षण सहायक, सामान्य कार्यालय में क्लर्क, चौकीदार आदि शामिल हैं। कोच, सामाजिक कार्यकर्ता और ट्यूटर्स जैसे सेवा प्रदाताओं को भी स्कूल का एजेंट माना जा सकता है, और स्कूल प्रशासक/आईएमसी अपने एजेंटों द्वारा किसी भी भेदभाव या उत्पीड़न जैसे कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।

सभी नस्लीय समूहों के छात्र, माता-पिता, स्कूल कर्मचारी और आवेदक नस्ल के आधार पर उत्पीड़न से मुक्त होने के हकदार हैं। यदि उन्होंने स्कूल प्रशासकों और/या आईएमसी को भेदभावपूर्ण कृत्य के बारे में बताया है, तो स्कूल को सलाह दी जाती है कि वे इस कार्य और नस्लीय शत्रुतापूर्ण माहौल के निर्माण को रोकने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं।

10. ईओसी को भेदभाव या उत्पीड़न का दावा करने पर क्या होता है?

ईओसी मामले का आकलन करेगी और शिकायत की जांच करेगी तथा समझौते से मामले को हल करने का प्रयास करेगी। यदि किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सकता है, तो शिकायतकर्ता ईओसी से कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। शिकायतों की योग्यता के आधार पर, केस-दर-केस मामले में कानूनी सहायता पर विचार किया जाता है।

ईओसी की शिकायत प्रक्रिया

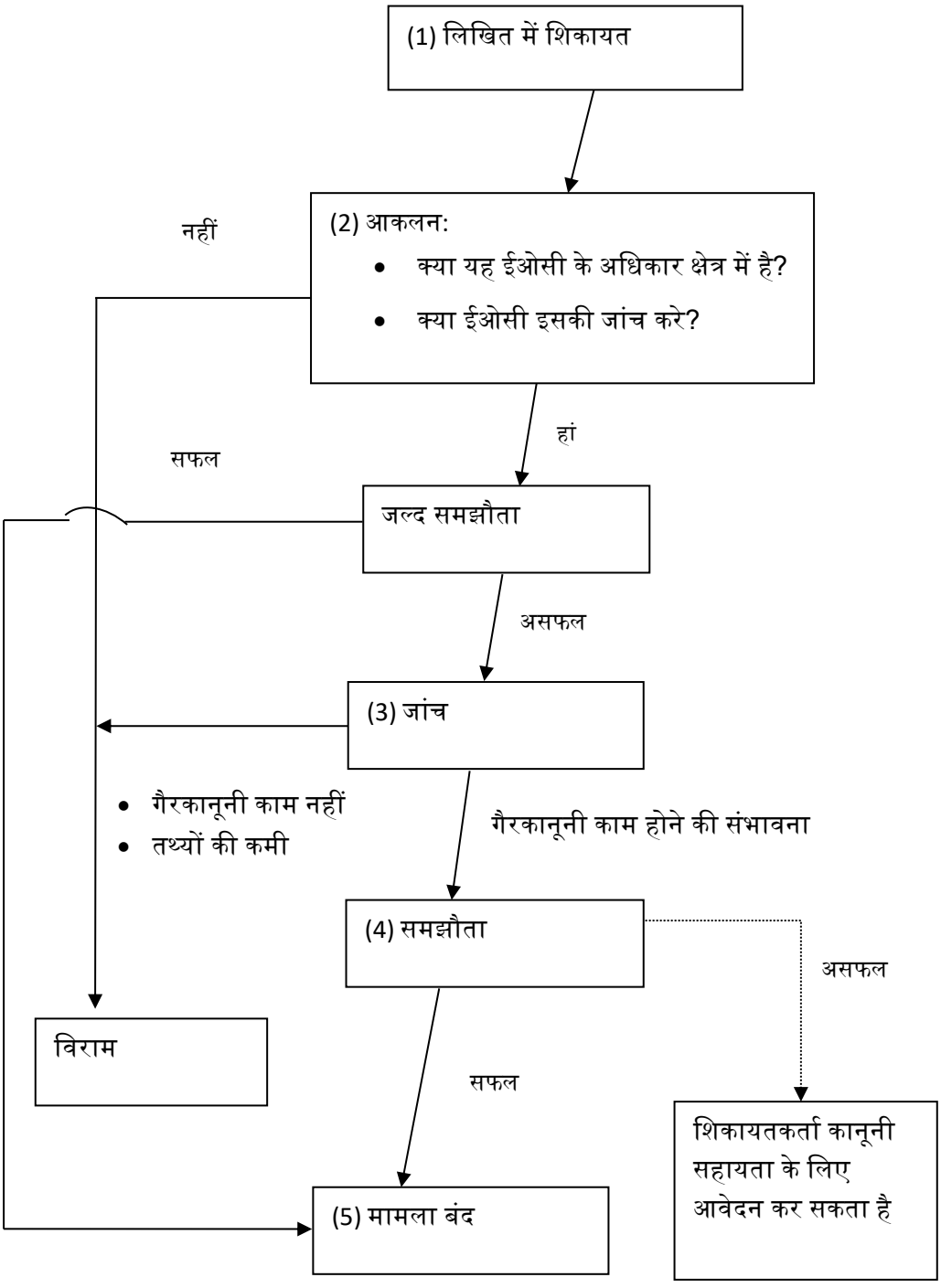

11. समझौता के माध्यम से मुझे किस प्रकार का समाधान मिल सकता है?

पार्टियां निपटान शर्तों का प्रस्ताव रख सकती हैं और बातचीत कर सकती हैं। इसमें शामिल किए जा सकने वाले कुछ उदाहरण हैं:

- माफी;
- स्कूल में प्रवेश;
- मौद्रिक निपटान;
- कर्मचारी प्रशिक्षण आयोजित करने या व्यवस्थित करने का वचन; और/या
- संगठन की नीति या प्रक्रियाओं को बदलने का वचन।

यदि आपको हांग कांग के भेदभाव विरोधी अध्यादेशों के तहत अपने अधिकारों के बारे में और जानकारी की आवश्यकता है, तो शिकायत-निपटान प्रक्रियाओं और/या ईओसी की प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं, ईओसी से eoc@eoc.org.hk या 2511 8211 पर संपर्क करें। ईओसी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:45 बजे से शाम 5:45 बजे तक खुला रहता है। अनुरोध पर भाषांतरण की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन ये व्यवस्था दुभाषिये की उपलब्धता पर निर्भर है।

आप ईओसी वेबसाइट और ऑनलाइन संसाधनों पर जा सकते हैं:

www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=a%20world%20of%20colours

12. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्कूल/किंडरगार्टन से

1. प्रवेश नीति

Q: एक स्कूल के रूप में, हमें छात्रों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये मानदंड आरडीओ का उल्लंघन नहीं करते हैं?

A: जब स्कूल छात्रों के लिए चयन मानदंड निर्धारित करता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मानदंड किसी भी आवेदक की जाति या भाषा के आधार पर स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आप कुछ खास नस्लों से संबंधित आवेदकों के खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। स्कूल के लिए जरूरी है कि वह उचित कसौटी पर तैयार एक समान मानदंड तैयार करें, और इन मानदंडों के बारे में सभी माता-पिता को सूचित करें ताकि आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों और तर्कों को वह समझ सकें।

2. भाषा की आवश्यकता

Q: अगर हमारे पास ऐसा आवेदक है जो कैंटोनीज़ नहीं बोलता है तो क्या किंडरगार्टन प्रवेश साक्षात्कार की भाषा बदलनी पड़ेगी?

A: किंडरगार्टन किसी भी बच्चे के लिए व्यवस्थित शिक्षा का पहला चरण है, और भाषा कौशल को बढ़ाने का सबसे अच्छा समय है। हांग कांग में सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा के बावजूद चीनी और अंग्रेजी सीखने के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने से पहले उनका भाषा कौशल उन्हें किंडरगार्टन में प्रवेश प्राप्त करने से बाहर करने का कारण नहीं होना चाहिए।

हालांकि आरडीओ के तहत स्कूलों को पढ़ाने के माध्यम को बदलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी साक्षात्कार में उपयोग की जाने वाली भाषा पर आरडीओ में ऐसी कोई विशिष्ट छूट नहीं है। किंडरगार्टन को अभी भी अप्रत्यक्ष भेदभाव की शिकायतों और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है यदि वे बिना किसी उचित कारण के, गैर-चीनी आवेदकों का साक्षात्कार लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो कैंटोनीज़ नहीं बोल सकते हैं या चीनी आवेदकों का आवेदन अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए किंडरगार्टन को अन्य मूल्यांकन विधियों का उपयोग करके स्क्रीनिंग करने की सलाह दी जाती है, जैसे बच्चे के सीखने की प्रेरणा का अवलोकन, दूसरों के साथ बातचीत आदि। अगर भाषा बाधा के कारण आवेदकों को निर्देशों को समझने में कठिनाई होती है, तो स्कूलों को दुभाषियों की व्यवस्था करना या परिवार के सदस्यों को आवेदकों के लिए भाषांतरण की अनुमति देना जैसी सुविधा देनी चाहिए।

(अप्रत्यक्ष भेदभाव धारा 4 बी (ए) को देखें - प्रवेश के दौरान भाषा आवश्यकता)

3. कैंटोनीज़ नहीं समझने वाले माता-पिता के साथ संवाद

Q: हम चीनी भाषा माध्यम में पढ़ाने वाले स्कूल हैं और माता-पिता के लिए हमारी सभी नोटिस चीनी में लिखे जाते हैं। अगर वे चीनी बोलते या पढ़ते नहीं हैं तो हम माता-पिता के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं?

A: स्कूल गैर-चीनी भाषी माता-पिता को अपने बच्चे की शिक्षा में और अधिक शामिल होने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में विभिन्न तरीकों का पता लगा सकते हैं। आप माता-पिता को द्विभाषी नोटिस (अंग्रेजी और चीनी) भेजने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप स्कूल के एक कर्मचारी को माता-पिता के लिए मौखिक रूप से नोटिस की व्याख्या करने के लिए कह सकते हैं। शिक्षा ब्यूरो ने जातीय अल्पसंख्यक सहायकों की नियुक्ति या उपयुक्त अनुवाद सेवाओं की खरीद के माध्यम से गैर-चीनी भाषी माता-पिता के साथ संवाद को मजबूत करने के लिए स्कूलों को आर्थिक मदद दी है। सामुदायिक संसाधन, जैसे गृह मंत्रालय विभाग द्वारा वित्त पोषित भाषांतरण सेवा (वेबसाइट:

www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html), भी गैर-चीनी भाषी माता-पिता के साथ संवाद में सहायक हो सकती है।

(अप्रत्यक्ष भेदभाव धारा 4 बी (ए) - स्कूल नोटिस और संचार का संदर्भ लें)

4. अनुशासनात्मक कार्रवाई

Q: यदि किसी जातीय अल्पसंख्यक छात्र ने स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया है, और अगर उसे अनुशासन में रहना सिखाया जाता है तो क्या हम नस्लवाद के आरोपी बनाए जाएंगे?

A: जिसने स्कूल के अनुशासन नियम का उल्लंघन किया है, आप उस छात्र के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, जब तक कि आप उस छात्र को किसी खास नस्ल का होने के कारण उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। एक अच्छी परिपाटी के रूप में, कैंपस नीति को यह सुनिश्चित किरना चाहिए कि यह अनजाने में छात्रों के खिलाफ भेदभाव नहीं करती है। शिक्षा ब्यूरो द्वारा छात्र अनुशासन पर जारी दिशानिर्देशों के तहत, स्कूलों को छात्रों के समस्यागत व्यवहारों से निजात पाने के लिए निष्पक्ष और सुसंगत होना चाहिए, साथ ही छात्रों की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। हस्तक्षेप का अंतिम उद्देश्य छात्रों को शर्म, अपमान और उपहास की भावना के बिना अपने व्यवहार की ज़िम्मेदारी लेने की दिशा में मार्गदर्शन होना चाहिए।

5. नस्लीय उत्पीड़न

Q: यदि दो अलग-अलग जातीय समुदायों के छात्र एक-दूसरे की नस्ल का आकस्मिक मजाक उड़ाते हैं, तो मैं इसे नस्लीय उत्पीड़न तक पहुंचने से रोकने के लिए क्या कर सकता हूं?

A: स्कूल और शिक्षकों को छात्रों के बीच आपसी सम्मान और समझ के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। इस मामले में, उन्हें छात्रों को एक दूसरे की नस्ल को मजाक की वस्तु नहीं बनाने के बारे में सिखाया जाना चाहिए क्योंकि यह अनादर माना जाता है। स्कूल को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सभी छात्रों को यह बताएं कि किसी की नस्ल का मज़ाक उड़ाने से नस्लीय उत्पीड़न हो सकता है जिसके लिए उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

हम सुझाव देते हैं कि स्कूल भेदभाव और उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए समान अवसर नीति और स्पष्ट प्रक्रियाओं का विकास करें, और स्कूल में भेदभाव और उत्पीड़न विरोधी उपायों की घोषणा करें। स्कूल ऐसे सभी मामलों को संभालने के लिए एक विशिष्ट कर्मचारी को जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर सकता है। इस तरह, स्कूल भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायतों से

सुसंगत तरीके से निपट सकता है। इस संबंध में, ईओसी समान अवसरों पर स्कूल नीतियों और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

(नस्लीय उत्पीड़न क्या है? धारा 5 ए का संदर्भ लें - अवांछित आचरण)

6. धार्मिक प्रथाएं और स्कूल यूनिफॉर्म नीति

Q: क्या स्कूल को अपनी यूनिफॉर्म नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है यदि कुछ छात्रों के लिए विशेष प्रकार के कपड़ों या एसेसरीज, जैसे पगड़ी या हिजाब पहनना धार्मिक प्रथा है?

A: आरडीओ के तहत धर्म को प्रतिबंधित आधार नहीं माना जाता है। हालांकि, कुछ धर्म एक निश्चित नस्ल के लोगों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में, हम सुझाव देते हैं कि स्कूल छात्रों के नस्लीय, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के लिए उचित सामंजस्य बनाए और इनका सम्मान करे। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नीतियों से छात्रों को अपने धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, और जहां तक संभव हो, शिक्षा और सीखने के अवसरों तक पहुंच सहित छात्रों के बुनियादी अधिकारों को प्रभावित नहीं करे। बुनियादी सिद्धांत है कि छात्रों और माता-पिता, परामर्श करने वाले नेताओं या जब भी संभव हो, धार्मिक समुदाय के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संवाद रखा जाए और पारदर्शी तरीके से विकल्प तलाशने और सामंजस्य बनाने के लिए निर्णय लिए जाएं। विवरण के लिए, कृपया इस मुद्दे से जुड़ी नस्लीय समानता और स्कूल यूनिफॉर्म पर ईओसी पुस्तिका पढ़ें:

www.eoc.org.hk/EOC/Upload/booklets/schoolUniform/2014_02.pdf

(अप्रत्यक्ष भेदभाव धारा 4 बी (बी) - धार्मिक परंपरा और स्कूल के नियमों का संदर्भ लें)

7. धार्मिक गतिविधियां

Q: यदि कोई छात्र स्कूल के संप्रदाय से अलग धर्म का पालन करता है और अपने धर्म के पालन के संबंध में विशेष अनुरोध करता है, उदाहरण के लिए स्कूल के समय के दौरान प्रार्थना के लिए छुट्टी का अनुरोध करता है, तो स्कूल इन अनुरोधों को कैसे पूरा कर सकता है?

A: स्कूलों के लिए छात्रों के सांस्कृतिक, धार्मिक और नस्लीय प्रथाओं का सम्मान करने और इन्हें ध्यान में रखना उचित होगा। प्रश्न 7 में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वो छात्रों, उनके माता-पिता, धार्मिक समुदाय के नेता और सदस्यों से धार्मिक जरूरतों पर परामर्श करें और फिर इन्हें उचित तरीके से पूरा करने पर फैसला करें।

(अप्रत्यक्ष भेदभाव धारा 4 बी (बी) - धार्मिक परंपरा और स्कूल के नियमों का संदर्भ लें)

8. धार्मिक उत्सव

Q: हर साल क्रिसमस का त्योहार मनाने की स्कूल में परंपरा रही है। अगर हम उन जातीय अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश देते हैं जो शायद ईसाई नहीं हैं तो क्या हमें अपने स्कूल में क्रिसमस का त्योहार मनाने की परंपरा को बदलना होगा?

A: स्कूल क्रिसमस या किसी अन्य धार्मिक त्योहार को मनाने का अपना तरीका चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, जहां भी संभव हो, विभिन्न धर्मों के छात्रों की जरूरतों को समायोजित करने की सलाह दी जाती है। समारोहों के दौरान, हम सुझाव देंगे कि स्कूल को अन्य धार्मिक मान्यताओं वाले छात्रों के किसी भी तरह के धार्मिक प्रतिबंधों के बारे में जागरूक रहें और इस संबंध में कुछ लचीली नीतियां अमल में लाई जाएं, उदाहरण के लिए, भोजन, धार्मिक गतिविधियों आदि की व्यवस्था। हम स्कूलों को छात्रों को विभिन्न धार्मिक परंपराओं और उत्सवों के बारे में जानकारी देने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे नस्लीय और धार्मिक स्वीकृति को बढ़ावा मिले।

(अप्रत्यक्ष भेदभाव धारा 4बी(बी) - धार्मिक परंपरा और स्कूल के नियमों का संदर्भ लें)

9. शिकायतों का निपटारा

Q: अगर हमें किसी छात्र या माता-पिता से भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो स्कूल क्या कर सकता है?

A: जैसा कि प्रश्न 5 में बताया गया है, हम सुझाव देते हैं कि स्कूल एक समान अवसर नीति विकसित करे, जिसमें शिक्षकों के लिए भेदभाव और उत्पीड़न सहित समान अवसरों से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं हो, ताकि शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन इस तरह की शिकायतों से तरीके से निपट सकें। स्कूल को सलाह दी जाती है कि भेदभाव और उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को ध्यान से देखें कि क्या शिकायत में ठोस तथ्य हैं और क्या स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है। कुछ स्थितियों में, स्कूल छोटे-छोटे कदम उठाकर जैसे कि कुछ प्रथाओं को बदलकर और ट्रेनिंग के जरिए से छात्रों व स्कूल कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाकर समाधान निकाल सकते हैं।

10. सभी नस्लों पर आरडीओ का लागू होना

Q: क्या आरडीओ केवल अल्पसंख्यक समुदायों को नस्लीय भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है? क्या एक हांग कांग चीनी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी नस्लीय भेदभाव या उत्पीड़न का दावा कर सकता है?

A: आरडीओ हांग कांग में जाति, रंग, वंश, राष्ट्रीय मूल और जातीय मूल का भेदभाव किए बिना हर किसी पर लागू होता है। आरडीओ किसी की **नस्ल के आधार पर** नस्लीय भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए, यदि एक हांग कांग चीनी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि वह चीनी है, तो यह नस्लीय भेदभाव माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक स्कूल स्पोर्ट्स टीम केवल गैर- चीनी छात्रों का नामांकन करने की अनुमति देती है, तो यह नस्लीय भेदभाव का मामला हो सकता है।

13. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
माता-पिता/छात्रों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. प्रवेश

Q: मेरी बेटी और मैं दोनों फिलिपिनो मूल के हैं। हमने प्रवेश के लिए एक किंडरगार्टन से संपर्क किया। हमारी उपस्थिति को देखने पर, रिसेप्शन के कर्मचारियों ने हमसे पूछा कि क्या हम में से कोई भी कैंटोनीज़ बोलता है। जब हमने जवाब दिया कि हम कैंटोनीज़ नहीं बोलते हैं, तो हमें एक और किंडरगार्टन से संपर्क करने के लिए कहा गया। यह अस्वीकृति वास्तव में पीड़ादायक है। इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं?

A: बिना किसी वाजिब वजह के स्कूल प्रवेश में भाषा की आवश्यकता का जिक्र करना आरडीओ का उल्लंघन हो सकता है। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति बनती है, तो आप स्कूल प्रशासक से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में उन्हें बता सकते हैं। यदि आप अभी भी अपनी नस्ल के कारण स्कूल द्वारा भेदभाव महसूस करते हैं, तो आप ईओसी के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

(प्रत्यक्ष भेदभाव की धारा 4 ए और अप्रत्यक्ष भेदभाव की धारा 4 बी (ए) - प्रवेश के दौरान भाषा आवश्यकता का संदर्भ लें)

2. स्कूल सहायता

Q: मेरे परिवार के सदस्य सभी हांग कांग पाकिस्तानी हैं। जिस स्कूल में मेरे बेटे को प्रवेश मिला है, उन्होने मुझे बताया कि गैर-चीनी भाषी छात्रों के लिए सीखने की सामग्री बहुत सीमित हैं और सुझाव दिया है कि मैं अपने बेटे को उस स्कूल में भेजने के बारे में विचार करूं, जहां पठन-पाठन के संसाधन अधिक हैं। क्या मुझे सलाह का पालन करना चाहिए?

A: शिक्षा ब्यूरो ने गैर-चीनी भाषी छात्रों के लिए चीनी की गहन शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों को सहायता बढ़ा दी है। कई स्कूल शिक्षा ब्यूरो से अतिरिक्त वित्त पोषण का उपयोग करते हैं ताकि कई प्रकार के उपायों को लागू किया जा सके, जैसे पुल-आउट पाठ, स्कूल के बाद समेकन, अतिरिक्त शिक्षण कर्मचारी इत्यादि। आपको स्कूल के साथ ये स्पष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वो सरकार से मिल रही आर्थिक मदद का उपयोग कैसे कर रहा है, और निर्णय लेने से पहले अपने बेटे की सीखने की जरूरतों और संबंधित कारकों, जैसे चीनी सीखने के लिए गहन वातावरण, उनके सामाजिक समायोजन की क्षमता आदि पर विचार करें। फिर भी, यदि स्कूल इस कारण से आपके बेटे के पंजीकरण को अस्वीकार या स्थगित करता है, तो यह नस्लीय भेदभाव का मुद्दा हो सकता है और आप शिक्षा ब्यूरो और/या ईओसी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

3. गाली-गलौज

Q: मेरा परिवार मूल रूप से भारतीय है। मेरा बेटा स्कूल से रोते हुए आया और कहा कि उसके सहपाठी ने नस्लीय अपमानजनक शब्द से बुलाकर उसका मज़ाक उड़ाया। क्या यह नस्लीय उत्पीड़न है और मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं?

A: अगर एक छात्र ने आपके बेटे का मज़ाक उड़ाया और नस्लीय अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, जिसे आपके बेटे ने आपत्तिजनक, अपमानजनक या डराने वाला पाया है, तो यह नस्लीय उत्पीड़न का मामला बन सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस मुद्दे को शिक्षक/स्कूल के ध्यान में लाएं, ताकि शिक्षक/स्कूल संबंधित छात्र और दूसरों को नस्लीय उत्पीड़न के बारे में शिक्षित कर सके और इसी तरह की स्थितियों को फिर से होने से रोक सकें। यदि गाली-गलौज जारी रहती है, तो आप ईओसी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

(नस्लीय उत्पीड़न क्या है? धारा 5 ए का संदर्भ लें - अवांछित आचरण)

4. सामाजिक संपर्क

Q: मैं और मेरी बेटी दोनों थाई मूल के हैं। मेरी बेटी मुझे बताती है कि कोई भी स्कूल में उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता है और वह अलग महसूस करती है। क्या यह कानून के तहत एक मुद्दा है?

A: छात्रों के बीच उपर्युक्त स्थिति और इसी प्रकार के व्यवहार आरडीओ के तहत आवश्यक मसला नहीं हो सकता है क्योंकि अन्य छात्रों का उसके साथ नहीं खेलना स्पष्ट संकेत नहीं देता है कि ये नस्लीय भेदभाव से जुड़ा मसला है। हालांकि, हम सुझाव देते हैं कि आप इसे शिक्षक के ध्यान में लाएं ताकि वह आपके बच्चे को स्कूल में बेहतर तरीके से मेल-जोल करने में मदद कर सके।

5. भाषा

Q: मैं और मेरे पति चीनी नहीं हैं और हम दोनों चीनी भाषा पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। मेरी बेटी एक चीनी माध्यमिक शिक्षा स्कूल में पढ़ रही है। सभी स्कूल पत्राचार चीनी में है। इस वजह से स्कूल के संपर्क में रहना और यह जानना कि क्या हो रहा है बहुत मुश्किल है। मैं जानना चाहती हूं कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूं।

A: स्कूल को स्कूल से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाने का साधन मुहैया कराना चाहिए। हमारा सुझाव है कि आप शिक्षक से बात करें कि क्या स्कूल आपको महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में सूचित करने का तरीका ढूंढ सकता है, या तो लिखित या मौखिक रूप से। शिक्षा ब्यूरो ने जातीय अल्पसंख्यक सहायकों की नियुक्ति या उपयुक्त सेवाओं के माध्यम से गैर-चीनी भाषी माता-पिता के साथ अपना संवाद मजबूत करने के लिए स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। अल्पकालिक सहायता के लिए, आप सरकार की आर्थिक मदद और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित जातीय अल्पसंख्यकों के लिए सहायता सेवा केन्द्रों से भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कुछ अनुवाद और भाषांतरण की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। यह सूची सरकार के नस्ल संबंध यूनिट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html.

यदि स्कूल आपको सूचना प्राप्त करने का कोई वैकल्पिक तरीका प्रदान करने से इनकार कर देता है, तो आप आरडीओ के तहत शिकायत दर्ज कराने की संभावना पर चर्चा करने के लिए ईओसी से संपर्क कर सकते हैं।

(अप्रत्यक्ष भेदभाव धारा 4 बी (ए) - स्कूल नोटिस और संचार का संदर्भ लें)

6. आचरण के बारे में शिकायत

Q: मेरी बेटी और मैं एक जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। बेटी का शिक्षक शिकायत करता है कि उसने बार-बार स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया है और सुझाव दिया है कि मैं उसका दाखिला दूसरे स्कूल में करा दूं। इस बारे में मैं क्या कर सकती हूं?

A: आपको स्कूल के साथ संवाद करने और अपनी बेटी के आचरण के संबंध में संभावित मार्गदर्शन का पता लगाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक, आदि जैसे पेशेवर भी शामिल हो सकते हैं। किसी भी मामले में, स्कूल को आपकी बेटी को निशाना नहीं बनाना चाहिए या बिना उचित कारण के आपको उसे स्कूल से हटाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उसकी नस्ल के कारण उसके साथ शिक्षकों या स्कूल द्वारा कम अनुकूल व्यवहार किया जा रहा है, तो आप ईओसी के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

7. नस्लीय छवि

Q: मेरे शिक्षक ने उल्लेख किया कि मेरी नस्ल के छात्र दूसरी नस्ल के छात्रों के मुकाबले अधिक परेशान करने वाले और कम मेहनती हैं। मैं इस कथन से असहज महसूस करता हूं। इस बारे में क्या किया जा सकता है? क्या यह भेदभाव है?

A: यदि आपके शिक्षक किसी निश्चित नस्ल के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं, जो आपको नाराज, अपमानित या डराता है, तो यह नस्लीय उत्पीड़न का मामला बन सकता है। हमारा सुझाव है कि आप इसे अपने माता-पिता और/या संबंधित शिक्षक के साथ उठाएं और उसे बताएं कि आप उसकी टिप्पणी से कितना असहज हैं। अगर टिप्पणियां रुकती नहीं हैं और शिक्षक आपको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप स्कूल प्रबंधन या प्रिंसिपल से बात करने और नस्लीय उत्पीड़न और पीड़ित होने पर ईओसी से परामर्श करने पर विचार कर सकते हैं।

(नस्लीय उत्पीड़न क्या है? धारा 5 ए का संदर्भ लें - अवांछित आचरण और धारा 7 अत्याचार के जरिए भेदभाव क्या है?)

8. स्कूल में मेल-जोल

Q: माता-पिता के रूप में, मैं अपने जातीय अल्पसंख्यक बच्चे को मुख्यधारा के स्कूल में एकीकृत करने में मदद करने के लिए क्या कर सकता हूं?

A: माता-पिता के रूप में, आपको स्कूल के नियमों और विनियमों को जानने और स्कूल के साथ संवाद करने की आवश्यकता है, खासकर अगर आपके बच्चे को कुछ सामंजस्य की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे को कड़ा या हिजाब पहनने की ज़रूरत है, तो आपको सलाह दी जाती है कि इसे शुरुआत में ही स्कूल के साथ उठाया जाए। अन्य स्थितियों, जैसे कि आपका बच्चा धार्मिक कारणों से मास में भाग लेने में सक्षम नहीं है या उसके कुछ आहार संबंधी आवश्यकताएँ पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, तो इन पर स्कूल के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए ताकि वैकल्पिक रास्तों को तलाशा जा सके।

माता-पिता को स्कूल और शिक्षकों के साथ संबंध विकसित करने में सक्रिय होने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए, माता-पिता अभिभावक-शिक्षक संघ में शामिल हो सकते हैं या माता-पिता दिवस या किसी अन्य स्कूल की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं ताकि स्पष्ट रूप से आपके बच्चे की शिक्षा के प्रति आपकी

वचनबद्धता प्रदर्शित हो सके। इसके अलावा, अपने बच्चे या स्कूल के बारे में किसी भी विशिष्ट चिंताओं पर प्रश्न पूछने में संकोच न करें।

अगर आपके बच्चे ने कभी भी किसी भी घटना या परिस्थिति का उल्लेख किया है जिसने उसे असहज बना दिया है, तो आपको सलाह दी जाती है कि इसे शिक्षक के ध्यान में लाएं ताकि स्थिति का समाधान निकाला जा सके।

(अप्रत्यक्ष भेदभाव धारा 4बी(बी) - धार्मिक परंपरा और स्कूल के नियमों का संदर्भ लें)

14. सुझाए गए अभ्यास

ये स्कूलों में एक स्वस्थ बहुसांस्कृतिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव हैं जो नस्ल, जातीयता और रंग के बावजूद सभी छात्रों के लिए एक बेहतर वातावरण बना सकते हैं।

A. स्कूलों के लिए:

1. भेदभाव खत्म करने के लिए स्कूल की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने के लिए स्कूल में समान अवसर नीतियां तैयार करें, भेदभाव को रोकने और समावेश को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय उपाय करें और लिंग, विकलांगता, परिवारिक स्थिति और नस्ल के क्षेत्रों में भेदभाव और उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए दिशानिर्देश लागू करें।

2. सांस्कृतिक जागरूकता, संवेदनशीलता और नस्लीय छवि मुक्ति के लिए सभी कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों को प्रशिक्षण दें। कर्मचारियों और शिक्षकों को जातीय अल्पसंख्यक माता-पिता के साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करें और बताएं कि उनके साथ संवाद के लिए सामान्य अंग्रेजी पर्याप्त है।

3. छात्रों और माता-पिता द्वारा शिक्षा, सेवाओं और जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भाषांतरण के साथ-साथ अन्य प्रकार की सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा दें।

4. ऐसी गतिविधियों का आयोजन करें जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के प्रति जागरुकता और सम्मान पैदा करने के लिए विभिन्न नस्लीय पृष्ठभूमि से छात्रों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी गतिविधियां छात्रों को सशक्त बनाएगी और उनके बीच की दूरियां कम होगी।

5. जहां तक संभव हो सके चीनी और गैर-चीनी छात्रों के लिए एक साथ कक्षाओं की व्यवस्था करें।

6. स्कूल की गतिविधियों, खेल की टीमों और कक्षा में नस्लीय समूहों में मेल-जोल बढ़ाएं ताकि विभिन्न नस्लीय/सांस्कृतिक समूहों में बातचीत और आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके।

7. स्कूल के आंतरिक और बाहरी सामग्रियों में विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के छात्रों की उपलब्धियों और योगदानों को बढ़ावा दें, उदाहरण के लिए- न्यूजलेटर, पोस्टर इत्यादि।

8. सुनिश्चित करें कि स्कूल की सभी नीतियों को समान रूप से, लगातार और सब पर लागू किया जाता है। जहां भी छूट दिए जाने की आवश्यकता है, सुनिश्चित करें कि प्रक्रियाओं और नियमों को तरीके से लागू किया जाता है।

9. जहां तक संभव हो, स्कूल निकायों और गतिविधियों में जातीय अल्पसंख्यक माता-पिता की भागीदारी के लिए बाधाओं को हटाएं, जैसे स्कूल कार्यक्रमों के लिए द्विभाषी नोटिस जारी करना, पैरेंट्स डे के लिए भाषांतरण की व्यवस्था करना।

B. माता-पिता के लिए:

1. माता-पिता और स्कूलों को अन्य संस्कृतियों के लिए पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए शुरुआती सालों से ही मिलकर प्रयास करना चाहिए, आदर्श रूप में किंडरगार्टन या प्राथमिक स्कूल के स्तर से।

2. माता-पिता अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनकर बड़े समाज में एकीकृत होने और स्कूल और समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए पैरेंट्स डे कार्यक्रम में हिस्सा लेना, परिवारों द्वारा स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल होना और/या अभिभावक-शिक्षक संघ में भाग लेना।

3. माता-पिता को अपने बच्चों की सीखने की जरूरत और सामाजिक विकास के लिए अपने बच्चों और स्कूल के साथ खुला संवाद बनाए रखना चाहिए।

15. उपयोगी लिंक्स और संपर्क

शिक्षा ब्यूरो

•चीनी भाषा नहीं बोलने वाले छात्र के लिए सहायता सेवा : 3540 7447

• क्षेत्रीय कार्यालय

- न्यू टेरिटरीज वेस्ट: 2437 7272
- न्यू टेरिटरीज ईस्ट: 2639 4876
- कोलून: 3698 4108
- हांग कांग आईलैंड: 2863 4646

• लिंक: www.edb.gov.hk/ncs

हाँग काँग क्रिश्चियन सर्विस – चियर सेन्टर (CHEER Centre)

•नि:शुल्क टेलीफोन भाषांतरण सेवा:

- भाषा इंडोनेशिया, टैगलाग और थाई, पूछताछ संख्या: 3755 6811
- हिन्दी और नेपाली, पूछताछ संख्या: 3755 6822
- पंजाबी और उर्दू पूछताछ संख्या: 3755 6833

• लिंक: www.hkcs.org/gcb/cheer/cheer-e.html#3

गृह मामलों का विभाग – रेस रिलेशन्स यूनिट (RRU Unit)

• लिंक: www.had.gov.hk/rru/english/home/index.html

अस्वीकरण:

यह पुस्तिका सामान्य सलाह के लिए है। इसमें कानून की शक्ति नहीं है और किसी भी विशिष्ट स्थिति पर कानूनी सलाह नहीं है।

यदि आपको हांग कांग के भेदभाव विरोधी अध्यादेशों और ईओसी की शिकायत-निवारण प्रक्रियाओं के तहत अपने अधिकारों के बारे में और जानकारी चाहिए, तो कृपया संपर्क करें:

समान अवसर आयोग

16/F, 41 हयूङ्ग यिप रोड

वांग चुक हांग

हांग कांग

पूछताछ: 2511 8211

फैक्स: 2511 8142

ई-मेल: eoc@eoc.org.hk

एसएमएस सेवा के जरिए पूछताछ (सुनने में लाचार/ बोलने में दिक्कत वाले लोगों के लिए): 6972566616538

वेबसाइट: www.eoc.org.hk

(अनुरोध और उपलब्धता के आधार पर भाषांतरण सेवा की व्यवस्था की जा सकती है)

ईओसी के काम के बारे में जानकारी ईओसी के मोबाइल ऐप्स के माध्यम से हासिल की जा सकती है:

पता:	6/F, 41 हयूङ्ग यिप रोड, वांग चुक हांग, हांग कांग
टेलीफोन:	2511 8211
फैक्स:	2511 8142
वेबसाइट:	www.eoc.org.hk
एसएमएस पूछताछ सेवा:	6972566616538
(सुनने में लाचार/ बोलने में दिक्कत वाले लोगों के लिए	